

सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोल्हापूर
कोर्ट कैंम्प (धरसोली)

महोदयजी,

शुक्लानी प्रकरण रामप्रताप बनाम पूर्ण
जिसमें आप की तारीख पेशी निमत हों मैं
रामप्रताप पुत्र भोलुराम अंत प्रकरण को
आज कोर्ट कैंम्प में वसित लेख हूँ।

उक्त के प्रकरण में आप को हजेरत
कार्यवाही नहीं चाहिए।

दिनांक 17/11/21



उत्ती

रामप्रताप पुत्र

बलवन्त भि भौलुराम

शिवराम चव्हाण
गंगाधर रिंगा
उपखण्ड अधिकारी
कोल्हापूर (अलवर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
--------	---------------------------------	--

15/7/21

वादी काउन्सिल (1) उपर (प्रतिवादी) को RAD मजली को कोर्टोम कसमर दिशा जाता है (प्रमाण) दिनांक 23.8.21 को पेश हो।

24/8/21

दिनांक 23.8.21 को राज अख्यार को केवाला जाऊ आज कि को पेश हुये RAD मजली पेश दिनांक 2.9.21 को पेश हो।

29/9/21

कुलकर्णी कसम/वादी/उपस्थित वादी।
अधिकारी बाहर पधारे हैं जायन्दा पचाबक
दिनांक 21 को पेश होये।



17/11/2021

आज यह पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 केम्य हरसौली में पेश हुये वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वह इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहता, वाद विद्वान कराना चाहता है। वादी को सुना जाकर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादी का वाद विद्वान किया जाता है। वाद नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल चकतर किया जावे। निर्णय केम्य कोर्ट में लिखा जाकर सुनाया गया।



शिखर प्रभारी
गंगाधर मीणा
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलावर)

R

20. 11/11/2021